



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 05 महीने का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-1011/15 धारा-8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय स्पे०जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय कुमार पुत्र कालका प्रसाद द्विवेदी नि०-कुण्डौरा, थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 05 महीने का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार सिंह



विवेचक-
उ०नि० राकेश सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह